न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 02/2022

प्रार्थी

श्रीमती वर्षा देवी पत्नी श्री पुरण कुमार, जाति– रावल, निवासी– असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मंछाराम पुत्र दोलाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–असावा, तह. रेवदर, जिला– सिरोही
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव, प्रार्थीया (निगरानीकार) की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मंछाराम की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीया (निगरानीकार) ने यह निगरानी आवेदन ग्रामदानी ग्रामसभा, ग्राम असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही द्वारा श्री मंछाराम पुत्र दोलाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–असावा को क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 186 दिनांक 16–01–1993 (उक्त पट्टे पर प्लॉट संख्या 92 अंकित है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मंछाराम की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मंछाराम की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीया (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता श्री वैष्णव ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया, ग्राम असावा की स्थायी निवासी है एवं ग्राम असावा में प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य का एक भूखण्ड आया हुआ है जिसे प्रार्थीया ने जरिये विक्रय विलेख ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर जी, जाति– ब्राह्मण से दिनांक 23–5–2016 को क्रय किया है जो उप पंजीयक कार्यालय रेवदर के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 240 पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 2016000872 पर पंजीबद्ध है, जिसका असल पट्टा संख्या 52 (मिसल संख्या 19 दायर दिनांक 13–12–2019) जरिये रसीद संख्या 227 दिनांक 05–9–1983 राशि रूपये 75/– जमा कर दिनांक 24–6–1987 को राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत जारी किया हुआ है। जिस पर मालकी व अधिपत्य व कब्जा पूर्व में ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर का निरन्तर व निर्बाध रूप से रहा है एवं जरिये विक्रय विलेख क्रय करने के पश्चात् आज दिन तक प्रार्थीया का कब्जा अधिपत्य है जो पुरानी आबादी में स्थित है। प्रार्थी के उक्त क्रयशुदा व पट्टाशुदा का भूमि का नाप पूर्व–पश्चिम 60 फीट व उत्तर–दक्षिण 40 फीट कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है एवं चतुर्दशी उत्तर में चेतन रमणलाल ब्राह्मण का प्लोट, दक्षिण में पडत प्लोट, पश्चिम में रास्ता व दरवाजा एक व पूर्व में 15 फीट का रास्ता है एवं इस क्रयशुदा व पट्टेशुदा भूमि के मौके पर प्रार्थीया कब्जे काबिज है, लेकिन ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा प्रार्थीया के उक्त क्रयशुदा व पट्टेशुदा भूखण्ड

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

का एक और पट्टा संख्या 186 (जिस पर प्लोट संख्या 92 अंकित है) दिनांक 16—01—1993 को अप्रार्थी मंछाराम पुत्र दोलाजी पुरोहित, निवासी— असावा के नाम से जारी किया है। जबकि पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का संबंधित कानून एवं नियमों में कोई प्रावधान नही है। उक्त वर्णित नाप व चतुर्दशी की सम्पत्ति प्रार्थीया के स्वयं के मालकी व स्वामित्व अधिपत्य की थी। जिस पर पूर्व में जो केलुपोश का मकान बनाया था उसको हटाकर उस पर नये सिरे से नीवं निर्माण का कार्य शुरू किया तो अप्रार्थी मंछाराम ने मौके पर आकर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के साथ झगडा फंसाद कर कहने लगा कि उक्त भूखण्ड तो मेरा हैं, प्रार्थीया द्वारा पट्टे की मांगनी करने पर अप्रार्थी मंछाराम ने कहा कि मेरे नाम से पट्टा बना हुआ है और मेरे भी 40X60 फीट का भूखण्ड है एवं कहने लगा कि यहीं भूखण्ड मेरा है। प्रार्थीया ने उक्त पट्टे की फोटो प्रति को देखा एवं अप्रार्थी मंछाराम को कहा कि आपकी और हमारी चतुदर्शी में फर्क हैं तो वो कहने लगा कि पूर्व और पश्चिम में कोई फर्क नहीं है यहीं प्लोट मेरा है मुझे तो ग्राम पंचायत ने उक्त प्लोट का ही पट्टा बनाकर मेरे नाम से जारी किया है तथा मौके पर विरोधाभास करने लगा। यह कि अप्रार्थी मंछाराम ने ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा को झूठे शपथ पत्र व झूठा कब्जे का प्रमाण देकर पट्टा संख्या 186 जारी करवाया है। प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत में जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि पट्टा संख्या 186 भी जारी किया हुआ है। जबकि मौके पर प्रार्थीया का कब्जा अधिपत्य व स्वामित्व है, लेकिन ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा ने अप्रार्थी मंछाराम के हक में तथाकथित पट्टा संख्या 186 सन् 1993 को जारी किया है जो कि विधि विरुद्ध है व पट्टे को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टा संख्या 186 पर न तो मिसल संख्या का अंकन किया गया है और न ही दायर तारीख का कोई उल्लेख किया गया है तथा न ही कोई संकल्प पारित किया है। साथ ही चतुदर्शी में भी भिन्नता उत्पन्न हो रही है। अप्रार्थी मंछाराम के नाम से उक्त पट्टा संख्या 186 नियमों के विपरित बना हुआ है, क्योंकि वर्ष 1968 से राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में शनिवार व रविवार के दिन अवकाश घोषित किया हुआ है और शनिवार के अवकाश के दिन दिनांक 26—08—1989 को रसीद काटने का अंकिन किया हुआ है, साथ ही दिनांक 16—01—1993 को पट्टा जारी किया गया है उस दिन भी राजकीय कार्यालय में अवकाश था एवं शनिवार था एवं जिस रोज अप्रार्थी मंछाराम द्वारा कब्जा प्राप्त करने का हवाला दिया जा रहा है उस रोज दिनांक 20—6—1993 को रविवार का अवकाश था। जबकि प्रार्थीया के नाम से जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है वो विधि पूर्वक तरीके से जारी किया हुआ है एवं अप्रार्थी मंछाराम के पट्टे से काफी पुराना पट्टा है। उक्त दोनों पट्टो पर ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा के अध्यक्ष श्री नाथुराम के हस्ताक्षर किये हुए है। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा के अध्यक्ष श्री नाथुराम ने पूर्व में जारी पट्टे की जानकारी होने के बावजूद मात्र चतुदर्शी में हेराफेरी कर अप्रार्थी मंछाराम के नाम से पट्टा विलेख संख्या 186 जारी किया है जो काबिले खारीज है। प्रार्थीया के खरीद शुदा भूखण्ड में जो चतुदर्शी एवं नाप है उसके अनुसार ही प्रार्थीया मौके पर कब्जे काबिज है, साथ ही चतुदर्शी में जो अंकन किया है उक्त अंकन अनुसार ही प्रार्थीया के पडौसी कब्जे काबिज है। प्रार्थीया का कब्जा वर्ष 2016 से निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा वर्ष 1987 से मूल पट्टा धारक ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकरजी का कब्जा अधिपत्य निरन्तर व निर्बाध रूप से रहा है। अप्रार्थी मंछाराम का कब्जा अधिपत्य कभी भी उक्त भूखण्ड पर नहीं रहा है, मात्र पट्टे के ऊपर पट्टा बनाने से कब्जा अप्रार्थी मंछाराम का नहीं माना जा सकता है। उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 186 की आड़ में अप्रार्थी मंछाराम द्वारा प्रार्थीया के क्रयशुदा व पट्टेशुदा भूखण्ड को अपना बताकर प्रार्थीया के मालकी स्वामित्व व पट्टेशुदा खरीदशुदा व पट्टेशुदा भूमि को हड़प करना चाह रहा है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन विरुद्ध

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी मंछाराम पुत्र दोलाजी पुरोहित, निवासी— असावा के हक में जारी पट्टा संख्या 186 दिनांक 16—01—1993 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मंछाराम के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान अप्रार्थी मंछाराम के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया का ग्राम असावा में खरीद शुदा पट्टा संख्या 52 दिनांक 24—6—1987 का मौके पर कोई भूखण्ड़ नहीं आया हुआ है एवं न ही इसका कोई अस्तित्व ही है। ललित कुमार पुत्र गवरी शंकर के नाम जारी पट्टा संख्या 52 की भूमि का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है एवं न ही ऐसा कोई भूखण्ड़ मौके पर स्थित ही है। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा ने फर्जी एवं कुटरचित तरीके से मौके पर कोई भूमि नहीं होते हुए भी ललित कुमार के नाम जो पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीया का पट्टा शुरू से ही अवैध एवं फर्जी है एवं न ही ललित कुमार का अपने जीवन में उक्त पट्टा की भूमि पर कोई कब्जा ही रहा है। चूंकि ऐसी कोई भूमि मौके पर स्थित ही नही है, केवल मात्र ललित कुमार द्वारा पट्टे के आधार पर बिना कब्जे के यदि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 03—5—2016 को उक्त भूमि खरीद की है तो उसके लिए प्रार्थीया स्वयं दोषी है। प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में जो चतुदर्शी अंकित है उस चतुदर्शी का मौके पर कोई भूखण्ड ही स्थित नहीं है एवं न ही उसका कोई अस्तित्व ही है एवं न ही उस पर पट्टाधारी ललित कुमार पुत्र गवरीशंकर का कब्जा रहा है तथा न ही प्रार्थीया का कोई कब्जा है। जबकि ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी मंछाराम पुत्र दोलाजी पुरोहित, निवासी— असावा के हक में पट्टा संख्या 186 दिनांक 16—01—1993 को जारी किया गया है एवं मौके पर अप्रार्थी मंछाराम का कब्जा है व बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है एवं कच्चा केलुपोश से ढका हुआ है एवं कच्चा मकान बना हुआ है। प्रार्थीया की व अप्रार्थी मंछाराम के पट्टे की चतुदर्शी एक दूसरे से कदापि मेल नहीं खाती है बल्कि उक्त दोनों ही भूखण्ड़ में वर्णित चतुदर्शी अलग—अलग है। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी मंछाराम के हक में जारी उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड पर नवनिर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03—6—2015 को प्रस्ताव संख्या 02 पारित कर अप्रार्थी मंछाराम को निर्माण की स्वीकृति जारी की गई और जिसकी राशि भी 1100/— (अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये) ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनांक 03—6—2015 को जमा करवाये जिसकी रसीद संख्या 103 है। ग्राम पंचायत, असावा द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर एवं मौका निरीक्षण के पश्चात् पंचायत बैठक में प्रस्ताव संख्या 02 पारित कर अप्रार्थी मंछाराम को विधिवत् रूप से निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। इससे स्पष्ट है कि जो पट्टा विलेख अप्रार्थी मंछाराम के हक में जारी किया गया है वो पूर्ण रूप से विधि सम्मत हैं एवं मौके पर अप्रार्थी मंछाराम ही काबिज है। अप्रार्थी मंछाराम के नाम जारी पट्टा विलेख की भूमि प्रार्थीया की नहीं है एवं न ही प्रार्थीया का अप्रार्थी मंछाराम के पट्टे शुदा भूमि से कोई संबंध ही है एवं न ही प्रार्थीया का अप्रार्थी मंछाराम के पट्टे शुदा भूखण्ड की चतुदर्शी एक समान है। केवल मात्र प्रार्थीया बिना कब्जे के आधार पर भूखण्ड खरीदने एवं अब गलत व मिथ्या आरोप लगाकर अप्रार्थी मंछाराम के विरूद्ध उक्त भूमि पर कब्जा करने की बदनियति से यह गलत निगरानी आवेदन पेश किया है, जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी मंछाराम के हक में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा जारी पट्टा संख्या 186 दिनांक 16—01—1993 को जारी हुए करीब 32 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं पिछले 32 वर्ष से अप्रार्थी मंछाराम मौके पर अपने पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है। उसके बावजूद भी प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में सरासर गलत व मनगढन्त कथन अंकित कर यह निगरानी आवेदन करीब 32 वर्षो के बाद प्रस्तुत किया है, जो अतिशय से विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत अप्रार्थी मंछाराम पुत्र दोलाजी, जाति— पुरोहित, निवासी— असावा को क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट का पट्टा संख्या 186 दिनांक 16—01—1993 को जारी किया हुआ है, जो राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 43 के विलोपित होने से पूर्व में जारी किया गया है। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा को उस समय ग्राम पंचायत की शक्तियां प्रदत्त थी।

इस संबंध में प्रार्थीया (निगरानीकार) का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थीया, ग्राम असावा की स्थायी निवासी है एवं ग्राम असावा में प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य का एक भूखण्ड आया हुआ है जिसे प्रार्थीया ने जरिये विक्रय विलेख ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर जी, जाति— ब्राह्मण से दिनांक 23—5—2016 को क्रय किया है जो उप पंजीयक कार्यालय रेवदर के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 240 पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 2016000872 पर पंजीबद्ध है, जिसका असल पट्टा संख्या 52 (मिसल संख्या 19 दायर दिनांक 13—12—2019) जरिये रसीद संख्या 227 दिनांक 05—9—1983 राशि रूपये 75/— जमा कर दिनांक 24—6—1987 को राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत जारी किया हुआ है। जिस पर मालकी व अधिपत्य व कब्जा पूर्व में ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर का निरन्तर व निर्बाध रूप से रहा है एवं जरिये विक्रय विलेख क्रय करने के पश्चात् आज दिन तक प्रार्थीया का कब्जा अधिपत्य है जो पुरानी आबादी में स्थित है। प्रार्थी के उक्त क्रयशुदा व पट्टाशुदा का भूमि का नाप पूर्व—पश्चिम 60 फीट व उत्तर—दक्षिण 40 फीट कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है एवं चतुर्दशी उत्तर में चेतन रमणलाल ब्राह्मण का प्लोट, दक्षिण में पडत प्लोट, पश्चिम में रास्ता व दरवाजा एक व पूर्व में 15 फीट का रास्ता है एवं इस क्रयशुदा व पट्टेशुदा भूमि के मौके पर प्रार्थीया कब्जे काबिज है, लेकिन ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा प्रार्थीया के उक्त क्रयशुदा व पट्टेशुदा भूखण्ड़ का एक और पट्टा संख्या 186 (जिस पर प्लोट संख्या 92 अंकित है) दिनांक 16—01—1993 को अप्रार्थी मंछाराम पुत्र दोलाजी पुरोहित, निवासी— असावा के नाम से जारी किया है, जबकि पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का संबंधित कानून एवं नियमों में कोई प्रावधान नही है।" इसके विपरित, अप्रार्थी मंछाराम का कथन यह है कि "प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में जो चतुदर्शी अंकित है उस चतुदर्शी का मौके पर कोई भूखण्ड ही स्थित नहीं है एवं न ही उसका कोई अस्तित्व ही है एवं न ही उस पर पट्टाधारी ललित कुमार पुत्र गवरीशंकर का कब्जा रहा है तथा न ही प्रार्थीया का कोई कब्जा है। जबकि ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी मंछाराम पुत्र दोलाजी पुरोहित, निवासी— असावा के हक में पट्टा संख्या 186 दिनांक 16—01—1993 को जारी किया गया है एवं मौके पर अप्रार्थी मंछाराम का कब्जा है व बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है एवं कच्चा केलुपोश से ढका हुआ है एवं कच्चा मकान बना हुआ है। प्रार्थीया की व अप्रार्थी मंछाराम के पट्टे की चतुदर्शी एक दूसरे से कदापि मेल नहीं खाती है बल्कि उक्त दोनों ही भूखण्ड़ में वर्णित चतुदर्शी अलग—अलग है।"

प्रकरण में प्रार्थीया (निगरानीकार) द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, उक्त पट्टा संख्या 52 दिनांक 24—6—1987 व पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23—5—2016 की छाया प्रति तथा अप्रार्थी मंछाराम के नाम से ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा जारी पट्टा संख्या 186 दिनांक 16—01—1993 (जिस पर प्लोट संख्या 92 अंकित है) की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों पट्टों में अंकित चतुर्दशी में भिन्नता है। प्रार्थीया (निगरानीकार) ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में उक्त दोनों पट्टो की छाया प्रतियों के अलावा, किसी

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

प्रकार की अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी मंछाराम के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि ग्रामदानी ग्रामसभा, ग्राम असावा द्वारा प्रार्थीया के उक्त क्रयशुदा पट्टा संख्या 92 दिनांक 24—6—1987 की ही भूमि हो।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार है, लेकिन प्रार्थीया (निगरानीकार), निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी मंछाराम के पक्ष में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा वर्ष 1993 में पट्टा जारी किया गया है, लेकिन इस पट्टे को निरस्त कराने हेतु पट्टा जारी होने के करीब 29 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थीया ने कोई ठोस युक्तियुक्त कारण निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 जुलाई, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही